



2026:AHC:62011

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2598 सन् 2026

मुनाहिद हुसैन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुदर्शन सिंह, विवेक सहगल

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
2. वर्तमान दण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मु०अ०सं०-40/2026, धारा-109, 324(4), 121(1), 131, 3(5) बी०एन०एस० एवं खान और खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के अंतर्गत, थाना बहेरी, जिला बरेली में, अग्रिम जमानत की माँग करते हुए इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सके।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है जो 19 नामज़द व्यक्तियों और 25 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। यह कोई चोट नहीं का मामला है और समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाया गया है तथा किसी भी अभियुक्त को कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई है। दो अन्य अभियुक्त जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द नहीं थे, उन्हें पहले से ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। जाँच जारी है और आरोप-पत्र अभी दाखिल नहीं हुआ है। आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उपर्युक्त मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं तथा आवेदक के विरुद्ध अभी तक कोई बाध्यकारी प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनः उनका कथन है कि आवेदकगण विचारण और जाँच के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं तथा जब भी जाँच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यक हो, उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं जाँच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

5. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत याचिका पर न्याय निर्णयन करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और यह कि न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की वास्तविक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

6. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत संबंधी विधि के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों, आरोपों की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर बिना कोई विचार व्यक्त किए अग्रिम जमानत की प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य है।

7. तदनुसार यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित आवेदकगण - मुनाहिद हुसैन की गिरफ्तारी की दशा में, उसे संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी की संतुष्टि पर रु० 50,000/- का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं उसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल होने तक निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदकगण, यदि आवश्यक होगा तो पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच हेतु अपेक्षित समय पर उपस्थित रहेंगे।

(ii) आवेदकगण मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए।

(iii) आवेदकगण विवेचना के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विवेचनाधिकारी/अभियोजन पक्ष को, आवेदकगण को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

25 मार्च, 2026

मुस्तकीम

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।